(7)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **आर0के0 मिश्रा**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1151–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–4–2012 पारित द्वारा तहसीलदार देवसर जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 19/अ–6–अ/11–12.

....

बुधई पुत्र प्रेमलाल यादव
निवासी ग्राम जुड़वार तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0प्र0

------आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

शेषलाल मृत वारिसान–
अनुकलालसिंह पुत्र स्व0 शेषलाल
निवासी ग्राम जुड़वार तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0प्र0

------अनावेदक

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार देवसर जिला सिंगरौली के आदेश दिनांक 19–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने वादग्रस्त भूमि ख0क्रं0 276 रकवा 1.61 हे0 भूमि पर राजस्व अभिलेख में नाम इन्द्राज हेतु संहिता की धारा 115/116 एवं 121 के तहत आवेदन तहसील न्यायालय देवसर के समक्ष पेश किया। उक्त आवेदन पर प्रकरण क्रमांक 19/अ–6–अ/11–12 दर्ज किया और प्रकरण के

प्रचलित रहने के दौरान तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 19–4–12 पारित किया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 115/116 एवं 121 के तहत कब्जा इन्द्राज हेतु आवेदन पर आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रचलनशीलता पर इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की है कि संहिता की धारा 115 में भू–अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की शुद्धिकरण के संबंध में किसी नई प्रविष्टी का उपबंध नहीं है। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक शेषलाल द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115/116 एवं 121 के तहत आवेदन पत्र पेश कर कब्जा इन्द्राज हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है न कि अशुद्ध प्रविष्ट को शुद्ध करने हेतु। संहिता की धारा 115/116 में कब्जा इन्द्राज अथवा नवीन प्रविष्टी का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करने में त्रुटि की है। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सिंगरौली का आदेश दिनांक 19–4–2012 निरस्त किया जाकर तहसीलदार सिंगरौली द्वारा की जा रही कार्यवाही ही समाप्त की जाती है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

6/8/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर